संख्या-01/2018-100 ई-2/तेरह-2018-142/2017

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 08 जनवरी,2018

विषय:-उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से प्रदेश के बाहर शीरा निर्यात की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-69/दस-144ए/शी0नि0/2017-18, दिनांक 21 नवम्बर,2017, पत्र संख्या-जी-81/दस-144ए/शी0नि0/2009-10, दिनांक 22 दिसम्बर,2017 और इस सम्बन्ध में दि0 01-01-2018 को अवस्थापना एवं औदयोगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न शीरा विचलन समिति की बैठक का कार्यवृत्त पत्र संख्या-22 ई-2/तेरह-2018-142/2017 दिनांक 02 जनवरी,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों में प्रेषित प्रस्ताव एवं अवस्थापना एवं औदयोगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित् शीरा विचलन समिति की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के बाहर स्थित इकाईयों को उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से कुल 6,36,000 कुण्टल शीरा निर्यात की अनुमति निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रदान की जाती है:-

क्र0	इकाई का नाम	शीरे की आवंटित मात्रा
1-	मे0 लूना केमिकल प्रा0लि0, गुजरात।	1,00,000 कुण्टल
2-	मे0 त्रिमूला बालाजी एलाज प्रा0लि0, छत्तीसगढ़।	30,000 कुण्टल
3-	मे0 विजा स्टील लि0, जाजपुर, उड़ीसा।	56,000 कुण्टल
4-	मे0 रेनुका शुगर, कर्नाटक।	2, 50,000 कुण्टल
5-	मे0 डालमिया भारत शुगर, महाराष्ट्र।	2,00,000 कुण्टल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- शीरा निर्यात की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रदेश में देशी मदिरा के निर्धारित एम0जी0क्यू0 की प्राप्ति हेतु वांछित मात्रा में अल्कोहल/शीरे की उपलब्धता न होने की दशा में निर्यात तत्काल रोक दिया जायेगा तथा मे0 डालमिया भारत शुगर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश राज्य स्थित अपने समूह की चीनी मिलों से निर्यात किये जाने वाले शीरे को कैप्टिव उपभोग नहीं माना जायेगा।

कृपया तद्नुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।